न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 57 / 2020

अनवान

1. श्री रघुनाथ जी महाराज जरिये मंत्री शंकर लाल सोमानी पिता रामप्रसाद सोमानी नि. 175 राधेनगर स्थान देह मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री बालु पिता रामा कुम्हार नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
2. श्री रतन लाल पिता रामा कुम्हार नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
3. श्रीमती धाप कंवर पत्नी श्री चावण्ड सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
4. श्री नरेन्द्र सिंह श्री चावण्ड सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
5. श्री फतेह सिंह पुत्र श्री केसर सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
6. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
7. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
8. श्री गोपालकृष्ण पुत्र श्री शंकर लाल नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
9. श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री शंकरलाल नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
10. श्री भैरू लाल पुत्र प्यारंचद खटीक नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
11. श्री रतन लाल पुत्र प्यारंचद खटीक नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
12. नाबालिग निर्मल कुमार पुत्र भैरू लाल खटीक नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
13. श्री कल्याण सिंह पुत्र नंद सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
14. कैलाश कंवर पुत्री नंद सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
15. श्री गजराज सिंह पुत्र नंद सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
16. निर्मला कंवर पुत्री गोवर्धन सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
17. श्रीमती निहाल कंवर पत्नी गोवर्धन सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
18. प्रेम कंवर पुत्री नंद सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
19. श्री पर्वत सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
20. श्री फतेह सिंह पुत्र केसर सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
21. माया कंवर पुत्री गणपत सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
22. श्रीमती मिठु कंवर पत्नी गणपत सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
23. श्री मोहन सिंह पुत्र नंद सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
24. श्री रामसिंह पुत्र नंद सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
25. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र नाथु सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
26. श्री शंभु सिंह पुत्र नंद सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ
27. सज्जन कंवर पुत्री नंद सिंह नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19–01–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.07.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 1100 की कृषि भूमि की आ.न. 2866 रकबा 0.1012 आ.न. 2867 रकबा 0.1770 है0 आ.न. 2868 रकबा 0.6702 है0 आ.न. 2882 रकबा 1.0748 है0 आ.न. 2883 रकबा 0.0632 है0 आ.न. 2884 रकबा 0.2276 है0 कुल किता 06 रकबा 2.3140 है0 एवं आ.न. 2869 रकबा** [illegible] **है0 कुल किता 02 रकबा 0.9736 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी [illegible] एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन [illegible] रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी [illegible] किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:35:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.08.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 लगायत 8,10,11,12,17,19,20,21,22 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 9,13,14,15,16,18,23,24,26,27 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 9,13,14,15,16,18,23,24,26,27 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 9,13,14,15,16,18,23,24,26,27 का नाम डिलीट / विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 1100 की कृषि भूमि की आ.न. 2866 रकबा 0.1012 आ.न. 2867 रकबा 0.1770 है0 आ.न. 2868 रकबा 0.6702 है0 आ.न. 2882 रकबा 1.0748 है0 आ.न. 2883 रकबा 0.0632 है0 आ.न. 2884 रकबा 0.2276 है0 कुल किता 06 रकबा 2.3140 है0 एवं आ.न. 2869 रकबा 0.4046 है0 आ.न. 2879 रकबा 0.5690 है0 कुल किता 02 रकबा 0.9736 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1100/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:35:37 IST
Reason: SelfAttested